न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 114/2025

श्री रविन्द्र कुमार यादव निवासी म.न. 50 गोपालपुरा गांव, शांति पथ नजदीक त्रिवेणी नगर कॉसिग, गोपालपुरा बाईपास जयपुर पिन 302018 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **4.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को आवेदन पत्र दिनांक 16.10.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

सहायक भू—अभिलेख व सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी दूनी (टोंक) कार्यालय सहायक भू—अभिलेख एवं भू—प्रबन्ध अधिकारी द्वारा वर्ष 2025 में सेटेलाईट/ड्रॉन / टेलीस्कोपिक पद्धति से करवाई गई ग्राम दूनी, ग्राम कोड 093355 की सर्वे पश्चात् जारी पर्चा नोटिस संख्या 1213 पुराना खाता संख्या 1213 पर्चा नोटिस संख्या 138 पुराना खाता सं 138, पर्चा नोटीस संख्या 1665 पुराना खाता सं. 1665, पर्चा नोटिस सं. 621 पुराना खाता सं. 621, पर्चा नोटिस सं. 316 पुराना खाता सं. 316, पर्चा नोटिस सं. 553 पुराना खाता सं. 553, पर्चा नोटिस सं. 1144 पुराना खाता सं. 1144, पर्चा नोटिस सं. 259 पुराना खाता सं. 259, पर्चा नोटिस सं. 1333 पुराना खाता सं. 1333, पर्चा नोटिस सं. 48 पुराना खाता सं. 48 की मय पुराना व नया माप व खसरा नंबरान सहित मय नक्शों के प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को पत्र कमांक 2374 दिनांक 04.12.2025, 2457 दिनांक 18.12.2025 व 2510 दिनांक 31.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 17.12.2025 को उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने पत्र कमांक 1296 दिनांक 31.12.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां सर्वे—रिसर्वे उपरान्त ग्राम दूनी के खसरा नम्बर की माप व नक्शें के अंतिम रूप (फाइनालाइज) होकर विभाग से प्राप्त नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नही है। इस संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 1297 दिनांक 31.12.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

782